रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 1971/श्रावण 30, 1893

No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 1971/ASADHA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July 1971

G.S.R. 1051.—Whereas certain draft rules further to amend the Insurance Rules, 1939, were published as required by sub-section (1) of section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) at pages 1999 to 2003 of the Gazette of India Part II-Section 3—Sub-section (ii), dated the 28th December 1970, under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 4096, dated the 28th December, 1970, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 27th February, 1971;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 11th February, 1971;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 114 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insurance Rules, 1939, namely:—

1. These rules may be called the Insurance (Amendment) Rules, 1971.

2. After rule 17 FA of the Insurance Rules, 1939 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be inserted namely:—

"17FB. *Calculation of proper share of managerial expenses.*—For the purposes of sub-clause (iii) of clause (b) of the Explanation to section 40C of the Act, the proper share of managerial expenses, that may be excluded in computing the expenses of management in India, shall be computed in the following manner, namely:—

(a) in the case of an insurer having his principal place of business in India, the same proportion of the total remuneration received by the Chief Executive Officer of the insurer (by whatever name called) as 15 per cent of the paid-up capital of the insurer bears to the total gross premium written direct in India by the insurer;

(b) in the case of an insurer having his principal place of business outside India, nil.".

3. After rule 51 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"51A. *Regions of the Regional Committees.*—For the purposes of sub-section (1) of section 64 UJ of the Act, there shall be four regions, one each for Bombay, Calcutta, Delhi and Madras, covering the same areas as the Bombay area, the Calcutta area, the Delhi area and the Madras area respectively as defined in rule 2."

4. After rule 53 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:—

"53A. *Fund of the Tariff Advisory Committee and custody of its moneys*—(1) The Tariff Advisory Committee shall have its own fund and all receipts of the Committee shall be carried thereto and all payments by the Committee shall be made therefrom.

(2) Subject to any regulations that may be made in this behalf, all moneys belonging to the Tariff Advisory Committee which are not immediately required by the Committee for any purpose shall be deposited with the State Bank of India.

"53B. *Accounts, audit and annual report of the Tariff Advisory Committee.*—(1) The Tariff Advisory Committee shall cause regular accounts to be kept of all its moneys and properties in respect of the affairs of the Committee in such form as may be determined by the Central Government in consultation with the auditor appointed by that Government.

(2) The annual accounts of the Committee shall be audited by the auditor or by any person authorised by him in this behalf and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Committee to the auditor.

(3) The auditor and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Committee shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India has in connection with the audit of Government accounts, and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other necessary documents and papers.

(4) The auditor or any person appointed by him in this behalf—

(a) shall communicate the results of the audit to the Committee which shall submit a copy of the audit report along with its observation to the Central Government; and

(b) shall forward a copy of the report direct to the Central Government.

(5) The Committee shall, as soon as may be, after the end of each calendar year, prepare and submit to the Central Government a report giving an account of its activities during the previous calendar year.".

5. After rule 56 of the said rules, the following rule shall be inserted namely:—

"56A. *Additional technical qualifications for Surveyors and Loss Assessors.*—The following shall be the technical qualifications for purposes of item (f) of sub-clause (i) of clause (D) of sub-section (1) of section 64UM of the Act, namely:—

(a) Fellowship or Associateship or Licenciateship held on the 26th October, 1968 or Fellowship or Associateship by examination subsequent-

ly acquired of the Institute of Insurance Surveyors and Adjusters, Bombay.

(b) Fellowship or Associateship of the Royal Institute of British Architects, London, and/or a Degree or Diploma in Architecture of a recognised University or Institute secured after attending full time course or by passing examination of such University or Institute.

(c) Fellowship or Associate membership of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

(d) Fellowship or Associate membership of the Institute of Chartered Accountants in Scotland.

(e) Fellowship or Associate membership of the Institute of Chartered Accountants in Ireland.

(f) Fellowship or Associate membership of the Institute of Cost and Works Accountants in the United Kingdom.

(g) A degree or diploma of a recognised Institute of Engineering secured after attending full time course and by passing the examination of such Institute.

(h) A certificate of competency as Master of Ship or as First Class Marine Engineer issued by a recognised authority.

(i) A degree or diploma in Naval Architecture of a recognised University or Institute.

(j) A Fellow or Associate on the 26th October, 1968, or a Fellow or Associate by examination, of the Chartered Institute of Loss Adjusters, London, held after the 26th October, 1968.

(k) Any technical qualification recognised by the Government of India as equivalent or superior to the qualification listed in items (b) and (c) of sub-clause (i) of clause (D) of sub-section (1) of section 64UM of the Act."

6. In rule 59 of the said rules;

(a) in clause (b),—

(i) in the marginal heading, for the words "Sickness Insurance Scheme", the words "Sickness Insurance, Group Personal Accident Insurance, Medical Benefits Insurance and Hospitalisation Insurance Schemes" shall be substituted; and

(ii) for the words "on or before", the words "within fifteen days from" shall be substituted;

(b) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) *Fidelity Guarantee Insurance.*—Fidelity Guarantee Insurance policies covering Government and semi-Government employees may be issued without receipt of premium in advance if the policy is not in renewal of an existing policy and subject to the condition that the premium is paid within thirty days from the date of appointment of the person covered by the policy.";

(c) for clauses (g) and (h), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(g) *Annual Insurances connected with aircraft hulls and other aviation risks and conceded with marine hulls.*—Facilities for delayed payment of premium or the payment of premium by means of instalments not exceeding four in number may be allowed at the discretion of the insurer on policies covering the following risks namely:—

(i) aircraft hulls,

(ii) marine hulls,

(iii) legal liability to passengers,

(iv) automatic personal accident insurance to passengers,

(v) blanket policies covering liability in excess of basic cover connected with aviation risks,

(vi) war risk insurance of air passengers and aircraft hulls,

(vii) third party and other liability risks connected with aviation risks and marine hull risks,

(viii) SRCC risk connected with aviation risk and marine hull risks,

provided that a clause to that effect is endorsed on the policy.

(h) *Short period covers in respect of Insurance connected with aircraft hulls and other aviation risks and marine hulls.*—Short period covers may be granted on a held covered basis on the following risks, namely:—

(i) aircraft hulls,

(ii) marine hulls,

(iii) legal liability to passengers,

(iv) automatic personal accident insurance to passengers,

(v) blanket policies covering liability in excess of basic cover connected with aviation risks,

(vi) war risk insurance of air passengers and aircraft hulls,

(vii) third party and other liability risks connected with aviation risks and marine hull risks,

(viii) SRCC risk connected with aviation risk and marine hull risks:

subject to the condition that the premium or additional premium in respect of risks assumed in a calendar month shall be paid by end of the next calendar month.";

(d) in clause (i), for the words "for long term", wherever they occur, including the marginal heading, the words "for a period of more than one year" shall be substituted;

(e) for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:—

"(m) *Policies of reinsurance.*—(i) Risk may be assumed without payment of premium in advance on insurances accepted under automatic reinsurance contracts.

(ii) In the case of facultative reinsurances accepted, risk may be assumed without payment of premium in advance if the ceding insurer has given an undertaking to pay his share of the premium, instalment of premium, premium subject to delayed payment or, where a deposit premium or provisional premium was paid on the original policy, the adjusted premium, or, in the case of premiums subject to delayed payment, the delayed premium, as the case may be, before the end of the calendar month succeeding the month in which the premium is due under the original policy."

7. In Form XVIII-AF of the Forms appended to the said rules, in the entries below paragraph 4, in entry 3, for item (e) including the N.B. below that item, the following item shall be substituted, namely:—

"(e) hold a diploma in insurance granted or recognised by the Government, or

(f) possess any of the technical qualifications mentioned in rule 56A.

(*N.B.*—In the case of each of the partners/Directors claiming to come under item (a) above and not being eligible to come under any of the items (b) to (f) above, a declaration in the form given in the Annexure to this Form duly filled in and sworn before a Magistrate, Notary Public or Justice of the Peace should be forwarded with this Form and in the case of each of the partners/Directors claiming to come under any one of the items (b) to (f) above, either the original diplomas/certificates with one attested copy each, or copies of the original diplomas/certificates duly attested by a Magistrate, Notary Public or Justice of the Peace should be enclosed. Where original diplomas/certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals).".

8. In Form XVIII-AI of the Forms appended to the said rules, in the entries below paragraph 4,—

(i) in entry (5), after the words "If the answer is in the affirmative", the words, brackets, letters and figure "and the applicant is not eligible to come under any of the sub-items (a) to (e) in item 6 below" shall be inserted;

(ii) in entry (6),

(a) for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"Whether the applicant possesses any of the following qualifications; if so, give details and also enclose either the original diplomas/certificates with one attested copy each, or copies of the original diplomas/certificates duly attested by a Magistrate, Notary Public or Justice of the Peace. (Where original diplomas/certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals)";

(b) after item (d), the following item shall be inserted, namely:—

"(e) possesses any of the technical qualifications mentioned in rule 56-A".

9. In Form XVIII-BF of the forms appended to the said rules, in paragraph 6, for item (e) including the N.B. below that item, the following item shall be substituted, namely:—

"(e) hold a diploma in insurance granted or recognised by the Government, or

(f) possess any of the technical qualifications mentioned in rule 56A;

(N.B.—In the case of each of the partners/Directors who was not a partner/ Director on the date of last application for licence—

(i) where he claims to come under item (a) above and is not eligible to come under any of the items (b) to (f) above, a declaration in the form given in the Annexure to this Form duly filled in and sworn before a Magistrate, Notary Public or Justice of the Peace should be forwarded with this Form; and

(ii) where he claims to come under any one of the items (b) to (f) above, either the original diplomas/certificates with one attested copy each, or copies of the original diplomas/certificates duly attested by a Magistrate, Notary Public or Justice of the Peace should be enclosed. Where original diploma/certificates are sent, they will be returned after perusal, but no responsibility can be accepted for loss or damage of such originals).".

[No. F. 51(6)-Ins. I/69.]

A. RAJAGOPALAN,
Officer on Special Duty and *Ex-Officio* Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19, जुलाई 1971

सा० का० नि० 1051.—प्रत. बीमा नियम, 1939 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, तारीख 28 दिसम्बर, 1970 के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) के पृष्ठ 2003 से 2009 तक पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० नि० 4096, तारीख 28 दिसम्बर, 1970 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से 27 फरवरी, 1971 तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिनका उनसे प्रभावित होना संभाव्य था ;

और यतः उक्त राजपत्र 11 फरवरी, 1971 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बीमा नियम, 1939 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम बीमा (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

2. बीमा नियम, 1939 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 17—चक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"17—चख. **प्रबन्धकीय खर्चों के उचित अंश की संगणना.**—अधिनियम की धारा 40ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iii) के प्रयोजनों के लिए प्रबन्धकीय खर्चों का उचित अंश, जिसे भारत में प्रबन्ध संबंधी खर्चों की संगणना में अपवर्जित किया जा सकता है, निम्नलिखित रीति से संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) उस बीमाकर्ता की दशा में, जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत में हो, बीमाकर्ता के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए) द्वारा प्राप्त कुल पारिश्रमिक का वही अनुपात, जो बीमाकर्ता की समादत्त पूंजी के 15 प्रतिशत का भारत में बीमाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष लिखित कुल सकल प्रीमियम से अनुपात है ;

(ख) उस बीमाकर्ता की दशा में, जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत के बाहर हो, कुछ नहीं।"

3. उक्त नियमों के नियम 51 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"51—क. **प्रादेशिक समितियों के क्षेत्र**.—अधिनियम की धारा 64—पत्र की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए चार क्षेत्र होंगे, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के लिए एक एक, जिनके अन्तर्गत वही क्षेत्र आते है जो नियम 2 में यथा परिभाषित, क्रमशः मुम्बई क्षेत्र, कलकत्ता क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र और मद्रास क्षेत्र हैं।"

4. उक्त नियमों के नियम 53 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"53—क. **टैरिफ सलाहकार समिति की निधि और उसके धन की अभिरक्षा.**—

(1) टैरिफ सलाहकार समिति की स्वयं अपनी निधि होगी और समिति की सभी प्राप्तियां उसमें डाली जाएंगी और समिति द्वारा किए गए सभी संदाय उसी में से किए जाएंगे।

(2) इस निमित जो विनियम बनाए जाएं उन के अधीन रहते हुए, टैरिफ सलाहकार समिति के सभी धन जिनकी समिति को किसी भी प्रयोजन के लिए तुरन्त आवश्यकता न हो, भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दिए जाएंगे।

53.—ख. **टैरिफ सलाहकार समिति के लेखा, संपरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट.**—(1) टैरिफ सलाहकार समिति अपने कार्यों की बाबत अपने समस्त धन और सम्पत्तियों के नियमित लेखे ऐसे प्ररूप में रखवाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उस सरकार द्वारा नियुक्त संपरीक्षक के परामर्श से, अवधारित किया जाए ।

(2) समिति के वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा, संपरीक्षक, द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत व्यय समिति द्वारा संपरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) संपरीक्षक के और समिति के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के, ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में होते है और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजो और कागज-पत्रों के पेश किए जाने की माग करने का अधिकार होगा ।

(4) संपरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति —

(क) संपरीक्षा के परिणाम समिति को संसूचित करेगा जो अपनी टिप्पणियों सहित संपरीक्षा–रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ; और

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति सीधे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

(5) समिति, हर कलैण्डर वर्ष के अन्त के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, पूर्व कलैण्डर वर्ष के दौरान के अपने क्रियाकलापो का वृतान्त देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी और केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ।

5. उक्त नियमों के नियम 56 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"56.—क. **सर्वेक्षकों और हानि के लिए अतिरिक्त तकनीकी अर्हताएं.**—अधिनियम की धारा 64 घ की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (i) की मद (च) के प्रयोजनों के लिए तकनीकी अर्हताएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(क) इंस्टीट्यूट आफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एण्ड एडजस्टर्स, मुम्बई की 26 अक्तूबर, 1968 को धारित फैलोशिप या एसोशिएटशिप या लाइसेंसिएटशिप या तत्पश्चात् परीक्षा द्वारा अर्जित फैलोशिप या एसोशिएटशिप ।

(ख) रायल इन्स्टीट्यूट आफ ब्रिटिश आर्किटेक्टस, लन्दन की फैलोशिप या एसोशिएटशिप और /या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की वास्तुकला में, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् या परीक्षा उतीर्ण करके प्राप्त, उपाधि या डिप्लोमा ।

(ग) इंग्लैंड और वेल्स के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फैलोशिप या एसोशिएट सदस्यता ।

(घ) स्काटलैंड के इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फैलोशिप या एसोशिएट सदस्यता ।

(ङ) आयरलैंड के इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की फैलोशिप या एसोशिएट सदस्यता ।

(च) यूनाइटेड किंगडम के इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स की फैलोशिप या एसोशिएट सदस्यता ।

(छ) इंजीनियरी के किसी मान्यताप्राप्त संस्थान की, उसका पूर्णकालिक पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् और ऐसे संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्राप्त, उपाधि या डिप्लोमा ।

(ज) किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मास्टर आफ शिप के रूप में या प्रथम वर्ग समुद्री इंजीनियर के रूप में क्षमता प्रमाण पत्र ।

(झ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की नौसैनिक वास्तुकला में उपाधि या डिप्लोमा ।

(ञ) चार्टर्ड इन्स्टीट्यूट आफ लॉस एंड जस्टर्स, लंदन का 26 अक्तूबर, 1968 को फैलो या एसोशिएट या 26 अक्तूबर, 1968 के पश्चात् आयोजित परीक्षा द्वारा फैलो या एसोशिएट ।

(ट) अधिनियम की धारा 64ख की उपधारा (1) के खंड (ब) के उपखंड (i) की मद (ख) और (ग) में सूचीबद्ध अर्हता के समतुल्य या उच्चतर अर्हता के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई तकनीकी अर्हता ।"

6. उक्त नियमों के नियम 59 में,—

(क) खंड (ख) में, —

(i) पार्श्व शीर्षक में, "बीमारी बीमा स्कीम" शब्दों के स्थान पर "बीमारी बीमा, समूह वर्षा तक दुर्घटना बीमा, चिकित्सा प्रसुविधा बीमा और अस्पताली चिकित्सा बीमा स्कीम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और

(ii) "को या उसके पूर्व" शब्दों के स्थान पर "से पन्द्रह दिन के भीतर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् .—

"(ग) **विश्वस्तता प्रत्याभूति बीमा**—विश्वस्तता प्रत्याभूति बीमा पालिसी, जिसके अन्तर्गत सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी आते है, प्रीमियम की अग्रिम प्राप्ति के बिना, यदि पालिसी किसी विद्यमान पालिसी के नवीकरण में नहीं है और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पालिसी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की तारीख से नौ दिन के भीतर प्रीमियम दे दिया जाए, जारी की जा सकेगी ।"

(ग) खंड (छ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(छ) वायुयान खोखू और अन्य विमानन जोखिमों से संबंधित तथा समुद्री खोखू से संबंधित वार्षिक बीमे—

प्रीमियम के विलंबित संदाय या चार से अनधिक की संख्या में किस्तों द्वारा प्रीमियम के संदाय की सुविधाएं, निम्नलिखित जोखिमों को समाविष्ट करने वाली पालिसियों पर, बीमाकर्ता के विवेकानुसार अनुज्ञात की जा सकती हैं, अर्थात् :—

(i) वायुयान खोखू,

(ii) समुद्री खोखू,

(iii) यात्रियो के प्रति विधिक दायित्व ,

(iv) यात्रियों का स्वतः वैयक्तिक दुर्घटना बीमा,

(v) विमानन जोखिम से संबंधित आधारिक सूरक्षा से आधिक्य के दायित्व को अपने अन्तर्गत लाने वाली सर्वग्राही पालिसियां,

(vi) वायुयान यात्रियो और वायुयान खोखू का युद्ध जोखिम बीमा,

(vii) विमानन जोखिम और समुद्री खोखू जोखिम से संबंधित अन्य पक्षकार एवं अन्य दायित्व जोखिम,

(viii) विमानन जोखिम और समुद्री खोखू जोखिम से संबंधित एस० आर० सी०सी० जोखिम;

परन्तु यह तब जब कि पालिसी पर उस आशय का कोई खंड पृष्ठांकित हो।

(ज) वायुयान खोखू और अन्य विमानन जोखिम और समुद्री खोखू से संबंधित बीमे की बाबत अल्पकालिक सुरक्षा —

अल्पकालिक सुरक्षा धारित सुरक्षित आधार पर निम्नलिखित जोखिमों पर मंजूर की जा सकेगी, अर्थात् :—

(i) वायुयान खोखू,

(ii) समुद्री खोखू,

(iii) यात्रियों के प्रति विधिक दायित्व ,

(iv) यात्रियों का स्वतः वैयक्तिक दुर्घटना बीमा,

(v) विमानन जोखिम से संबंधित आधारिक सुरक्षा से आधिक्य के दायित्व को अपने अन्तर्गत करने वाली सर्वग्राही पालिसयां,

(vi) वायुयान यात्रियों और वायुयान खोखू का युद्ध जोखिम बीमा ,

(vii) विमानन जोखिम और समुद्री खोखू जोखिम से संबंधित अन्य पक्षकार एवं अन्य दायित्व जोखिम,

(VIII) विमानन जोखिम और समुद्री जोखिम से संबंधित एम० आर० सी० सी० जोखिम; किन्तु शर्त यह होगी कि किसी कलेण्डर मास में उपधारित जोखिमों की बाबत प्रीमियम या अतिरिक्त प्रीमियम आगामी कलेण्डर मास के अन्त तक दे दिया जाए ।"

(घ) खंड (झ) में "दीर्घ काल के लिए" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हों, जिस में पार्श्व शीर्षक भी सम्मिलित है, "एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) पुनर्बीमा पालिसियां—(i) स्वतः पुनर्बीमा संविदाओं के अन्तर्गत स्वीकृत बीमा पर जोखम प्रीमियम के अग्रिम संदाय के बिना स्वीकार की जा सकती है ।

(ii) स्वीकृत वैकल्पिक पुनर्बीमा की दशा में जोखिम, प्रीमियम के अग्रिम संदाय के बिना, स्वीकार की जा सकती है यदि सुपुर्द करने वाले बीमाकर्ता ने यह वचन दिया है कि वह उस मास के, जिस में प्रीमियम मूल पालिसी के अधीन देय है, उत्तर्वर्ती कलेण्डर मास के अन्त से पूर्व, प्रीमियम का अपना भाग, प्रीमियम की किश्त, विलम्बित संदाय के अधीन रहते हुए प्रीमियम, या जहां मूल पालिसी पर निक्षेप प्रीमियम या अनन्तिम प्रीमियम दे दिया गया था, वहां, यथास्थिति, समायोजित प्रीमियम, या विलंबित संदाय के अध्यधीन प्रीमियमों की दशा में विलम्बित प्रीमियम देगा ।"

7. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 18—क च में पैरा 4 के नीचे की प्रविष्टियों में, प्रविष्टि 3 में, मद (ङ) के स्थान पर, जिसमें उस मद के नीचे का विशेष कथन सम्मिलित है, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ०) बीमे का सरकार द्वारा अनुदत्त या मान्यताप्राप्त डिप्लोमा रखता है, या

(च) नियम 56 क में वर्णित तननीकी अर्हताओं में से कोई अर्हता रखता है ।

(विशेष कथन—ऐसे भागीदारो निदेशको में से प्रत्येक की दशा में जो उपर्युक्त मदों (क) के अन्तर्गत आने का दावा करते हैं किन्तु उपर्युक्त (ख) से (च) तक की मदो में से किसी के अन्तर्गत आने के पात्र नही हैं, इस प्ररूप के उपबन्ध में दिये गए प्ररूप में सम्यक्तः भरी हुई और किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या जस्टिस आफ दि पीस के समक्ष शपथ लेकर की गई घोषणा, इस प्ररुप के साथ भेजी जानी चाहिए और ऐसे भागीदारों निदेशकों में से प्रत्येक की दशा में जो उपर्युक्त (ख) से (च) तक की मदों में से किसी के अन्तर्गत आने का दावा करते हैं या तो मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, प्रत्येक की एक-एक अनुप्रमाणित प्रति सहित, या मूल डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों की किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या जस्टिस आफ दि पीस द्वारा सम्यकतः अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहियें । जहां मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र भेजे जायेंगे वहां वे परिशीलन के पश्चात् लौटा दिये जायेंगे, किन्तु ऐसे मूल डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों के खोने या क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में कोई भी उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया सकता ।"

8. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूपों के प्ररूप 18—वहां में पैरा 4 के नीचे की प्रविष्टियों में,—

(I) प्रविष्टि (5) मे, "यदि उत्तर हां में है", शब्दों के पश्चात् "और आवेदक नीचे की मद 6 की (क) से (ङ) तक की उपमदों में से किसी के अधीन आने का पात्र नहीं है" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक अन्तःस्थापित किये जायेंगे ;

(II) प्रविष्टि (6) में,

(क) आरम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

"क्या आवेदक के पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई अर्हता है, यदि है तो ब्यौरे दीजिये और या तो मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, प्रत्येक की एक एक अनुप्रमाणित प्रति सहित, या मूल डिप्लोमों/प्रमाणपत्रों की किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या जस्टिस आफ दि पीस द्वारा सम्यक्तः अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न कीजिये। (जहां मूल डिप्लोमा प्रमाणपत्र भेजे जायेंगे वहां वे परिशीलन के पश्चात् लौटा दिये जायेंगे किन्तु ऐसे मूल डिप्लोमों/प्रमाणपत्रों के खोने या क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता।)";

(ख) मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात् :—

"(ङ) नियम 56-क में वर्णित तकनीकी अर्हताओं में से कोई अर्हता रखता है।"

9. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूपों के प्ररूप 18—ख में, पैरा 6 में मद (ङ) के स्थान पर, जिसमें मद के नीचे का विशेष कथन सम्मिलित है, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ङ) बीमे का सरकार द्वारा अनुदत्त या मान्यताप्राप्त डिप्लोमा रखता है, या

(च) नियम 56-क में वर्णित तकनीकी अर्हताओं में से कोई अर्हता रखता है।

(विशेष कथन—भागीदारों/निदेशकों में से प्रत्येक की दशा में जो अनुज्ञप्ति के लिये अन्तिम आवेदन की तारीख को भागीदार/निदेशक नहीं था—

(I) जहां वह उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत आने का दावा करता है और उपर्युक्त (ख) से (च) तक की मदों में से किसी के अन्तर्गत आने का पात्र नहीं है, वहां इस प्ररूप के उपबन्ध में दिये गये प्ररूप में सम्यक्तः भरी गई और किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या जस्टिस आफ दि पीस के समक्ष शपथ लेकर की गई घोषणा इस प्ररूप के साथ भेजी जानी चाहिये, और

(II) जहां वह उपर्युक्त (ख) से (च) तक की मदों में से किसी के अन्तर्गत आने का दावा करता है, वहां या तो मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, प्रत्येक की एक एक अनुप्रमाणित प्रति सहित या मूल डिप्लोमों/प्रमाणपत्रों की किसी मजिस्ट्रेट,

नोटरी पब्लिक या जस्टिस आफ दि पीस द्वारा सम्यक्तः अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिये । जहां मूल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र भेजे जायें वहां वे परिशीलन के पश्चात् लौटा दिये जायेंगे, किन्तु ऐसे मूल डिप्लोमों/प्रमाणपत्रों के खोने या क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता)" ।

[संख्या फा० 51(6)—बीमा—1/69]

ए० राजगोपालन,
विशेष कार्य अधिकारी और पदेन अतिरिक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971